भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4919** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 मार्च**, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से रसोई गैस का परिवहन

†4919. **श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**

श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

कुमारी गोड्डेति माधवी:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से रसोई गैस की ढुलाई हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से ढुलाई की प्रति टन लागत के किसी अनुमान और कंपनियों के अनुमानित लाभ की गणना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए दिनांक 25.02.2021 को एमओएल शिपिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के अनुसार, एमओएल शिपिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अपने कंसोर्टियम साझीदारों एचएएलपीजी (एजिस ग्रुप तथा आईटीओसीएचयू पेट्रोलियम ग्रुप) के साथ मिलकर बेहतर लॉजिस्टिक समाधान, सागरमाला योजना और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रधान मंत्री उज्जवला (पीएमयूवाई) योजना के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के रूप में सरकार की पहलों को सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

(ग) और (घ): "एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड" पर राईट्स की वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) मोड और भूतल परिवहन के अन्य महत्वपूर्ण माध्यमों द्वारा माल ढुलाई आवागमन की लागत निम्नानुसार है:-

माध्यम	**रेल**	**राजमार्ग**	**आईडब्ल्यूटी**
ढुलाई भाड़ा (रुपए प्रति टन कि.मी.)	1.36	2.50	1.06

*****